(47)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 491—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 15.06.2001 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 384/अपील/1997—98.

.....

सिरनाम सिंह पुत्र जगन्नाथ रावत
निवासी ग्राम कुलवारा तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश

——— आवेदक

विरूद्ध

1—नारायण सिंह पुत्र जादौ
निवासी ग्राम मड़ीखेड़ा तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी म0 प्र0 ———असल अनावेदक

2—श्रीमती मीराबाई फेरन सिंह रावत
निवासी ग्राम मड़ीखेड़ा तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी म0 प्र0

——— तरतीवी पक्षकार

.....

श्री लखन सिंह धाकड़ अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 पी0 धाकड़ अभिभाषक, अनावेदक क0—1
अनावेदक कमांक—2 तरतीवी पक्षकार

.....

आदेश

(आज दिनांक 16/10/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त–1 कोलारस के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मड़ीखेडा स्थित भूमि सर्वे कमांक 560, 561, 563 कुल किता–3 रकवा 3.41 है0 पर 10–12 वर्ष से उप कृषक के रूप में कब्जे के आधार पर काविज होने के कारण नामांतरण की मांग की गई। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.6.97 को नामांतरण के आदेश दिये गये। अनावेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर नामांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा–32 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.8.97 को पूर्व का पारित आदेश निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 21.7.98 को आवेदक की अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया गया। इससे दुखित होकर अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 15.06.2001 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण नायब तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया। इसी से दुखित होकर यह निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.6.01 विधि–विधान के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। नायब तहसीलदार कोलारस ने आदेश दिनांक 30.8.97 पारित करने के पूर्व न तो आवेदक को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया और न ही सुनवाई का अवसर दिया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी कोलारस ने ठीक ही निरस्त किया है, किन्तु अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी की है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदक के पिता एवं वाद में आवेदक ग्राम मड़ीखेड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 560, 561, 563 कुल किता 3 कुल रकबा 3.41 है0 पर सन् 1985–86 से उपकृषक होकर बेरोकटोक खेती करने से उप कृषक प्रमाणित होने के कारण नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30.6.97 से नामांतरण कर दिया, तब आवेदक को बिना सुने नायब तहसीलदार ने अपने पूर्व के आदेश को दिनांक 30.8.97 से निरस्त करने की त्रुटि की थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी कोलारस ने दुरूस्त कर

दिया था किन्तु अपर आयुक्त द्वारा जानबूझ कर प्रकरण के तथ्यों के विपरीत जाकर निर्णय लेने में गलती की है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आदेश दिनांक 30.6.97 से किये गये नामांतरण को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पुनरावलोकन में लेने तथा प्रकरण री–ओपन करने की अधिकारिता नायब तहसीलदार कोलारस को नहीं थी, अपर आयुक्त द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा किया है। नायब तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 30.6.97 को संहिता की धारा 32 "अर्तभूत शक्तियों " का प्रयोग कर निरस्त किया है जबकि इन शक्तियों का प्रयोग केवल प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली कानूनी/टंकण/लिपिकीय त्रुटि सुधारने में किया जाता है। इस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा गलत धारा का उपयोग कर आदेश दिनांक 30.8.97 पारित किया गया था, परन्तु इस तथ्य को अपर आयुक्त ने नजर अन्दांज किया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी के साथ धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत किया है उसके साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। धारा–5 के आवेदन पर आवेदक अधिवक्ता का तर्क था कि आवेदक को अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 15.6.2001 की जानकारी माह जनवरी 2014 में हुई। आवेदक अधिवक्ता का यह भी कहना है कि ग्रामीणों के बीच चर्चा हो रही थी कि नारायण सिंह का पुराना मुकद्मा तहसील न्यायालय में फिर से चालू हो गया है। आवेदक द्वारा दिनांक 27.1.14 को तहसील में पता किया जब जाकर रीडर ने बताया कि अपर आयुक्त ग्वालियर के आदेश पर से मुकद्मा इसी महीने चलवाया है। पुराने अधिवक्ता द्वारा बताने से इनकार कर दिया तब दूसरे नये अधिवक्ता से संपर्क कर आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर पैसा का इंतजाम करके पुनः इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की इसलिये धारा–5 का आवेदन सद्भावना पर आधारित होने से विलंब क्षमा किये जाने का अनुरोध किया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 15.6.01 निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21.7.98 स्थिर रखते हुये निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया है।

4–अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी के मसक्ष अपील अवधि वाह्य थी, और अवधि के प्रश्न का निराकरण किये बिना गुण दोषों पर निराकरण सर्वथा त्रुटिपूर्ण था जिसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा धारा–32 रे0 को0 को समझने में भूल की है जहां न्यायालय के आदेश के आधार पर प्राप्त किया गया है वहां धारा 32 रे0 को0 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि वर्तमान में अनावेदक उक्त भूमि पर काबिज है तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज किया जा चुका है। अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया जाकर आवेदक की निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा गुण दोषों पर विचार करके जो आदेश दिया था वह अंतिम आदेश था, तथा उपरोक्त आदेश के द्वारा आवेदक का नामांतरण किये जाने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश को धारा 32 के अधीन निरस्त नहीं किया जा सकता था, क्यों कि धारा 32 के अधीन क्षिष परिस्थितियों में ही अन्तर निहित शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 30.6.97 अंतिम आदेश था और जिसे यदि निरस्त किया जाना था तो धारा–51 में पुनर्वालोकन की कार्यवाही की जाकर अपने से वरिष्ठ न्यायालय से अनुमति लेना चाहिये था। धारा 32 का उपयोग उपरोक्त प्रावधानों के स्थान पर नहीं किया जा सकता था। धारा–32 का उपयोग उसी स्थान पर किया जा सकता है जब कि अन्य कोई प्रावधान न हों। नायब तहसीलदार द्वारा बिना पूर्व अनुमति के अपने पूर्व के आदेश को उलटने में अपने अधिकार क्षेत्र के वाहर जाकर आदेश पारित किया गया है, जिसे अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। जिससे अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश दिनांक 15.6.2001 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– धारा–5 के आवेदन पर आवेदक अधिवक्ता का तर्क था कि आवेदक को अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 15.6.2001 की जानकारी माह जनवरी 2014 में हुई। आवेदक अधिवक्ता का यह भी कहना है कि ग्रामीणों के बीच चर्चा हो रही थी कि नारायण सिंह का पुराना मुकद्मा तहसील न्यायालय में फिर से चालू हो गया है। आवेदक द्वारा दिनांक 27.1.14 को तहसील में पता किया जब जाकर रीडर ने बताया कि अपर आयुक्त ग्वालियर के आदेश पर से मुकद्मा

इसी महीने चलवाया है। पुराने अधिवक्ता द्वारा बताने से इनकार कर दिया तब दूसरे नये अधिवक्ता से संपर्क कर आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर पैसा का इंतजाम करके पुनः इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है। आवेदक अधिवक्ता के धारा–5 के आवेदन पर तर्क से बल मिलता है। क्यों कि आवेदक ग्राम में निवास करता है। इसलिये धारा–5 का आवेदन सद्भावना पर आधारित होने से विलंब क्षमा किया जाता है। **परिसीमा अधिनियम 1963 धारा–5 विलंब माफ करने में उदार रूख अपनाया जाना चाहिये सामान्यतः विलंब मांफ किया जाना चाहिये। ए0 आई0 आर0 1987 एस0 सी0 1353 से अनुसरित।**

7–उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 5/96–97/अ–46 में पारित आदेश दिनांक 30.8.97 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का प्रकरण कमांक 384–97–98/अपील में पारित आदेश दिनांक 15.6.2001 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 5/96–97/अ–46 में पारित आदेश दिनांक 30.6.97 एवं अनुविभागीय अधिकारी कोलारस जिला शिवपुरी का प्रकरण कमांक 11/1997–98/अपील में पारित आदेश दिनांक 21.7.98 उचित होने से स्थिर रखे जाते है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर